

1057(D)
ACP

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक/प.12(3)(66)राजस्व/2020/4150-4163

दिनांक 29.08.2023

:: निलामी ईशितहार निरस्त किये जाने की सूचना ::


राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3 ख के तहत पर्यटन इकाईयों के लिए आरक्षित खसरों की निलामी हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी निलामी ईशितहार क्रमांक/प.12(3)(66)राजस्व/2020/3213-3225 दिनांक 11.07.2023 एवं क्रमांक/प.12(3)(66)राजस्व/2020/4002-4015 दिनांक 14.08.2023 के द्वारा दिनांक 31.08.2023 को रखी गई निलामी के क्रम में प्राप्त विभिन्न आपत्तियों तथा उक्त आपत्तियों के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त निलामी को निरस्त किया जाता है।

Prullu
जिला कलक्टर, सिरोही
दिनांक 29.08.2023

क्रमांक/प.12(3)(66)राजस्व/2020/4150-4163

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु जरिये ईमेल director.tourism@rajasthan.gov.in पर प्रेषित है।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध हैं कि उक्त निलामी ईशितहार निरस्त किये जाने की सूचना को डीआईपीआर दर न्यूनतम साईज में एक राष्ट्रीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों में समय पर प्रकाशित करवाकर प्रकाशित समाचार पत्रों की एक-एक प्रति मय बिल इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि बिलों का भुगतान किया जा सके।
4. अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही।
5. प्रभारी अधिकारी, लेखा/डीआरए शाखा, कार्यालय हाजा।
6. सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू।
7. उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड।
8. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सिरोही को भेजकर लेख है कि उक्त निलामी ईशितहार निरस्त किये जाने की सूचना को जिला कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. जिला जनसंपर्क अधिकारी, सिरोही को भेजकर लेख है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर से समन्वय करते हुए उक्त निलामी ईशितहार निरस्त किये जाने की सूचना को डीआईपीआर दर न्यूनतम साईज में एक राष्ट्रीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों में समय पर प्रकाशित करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत को भेजकर लेख है कि विभागीय उच्चाधिकारियों से समन्वय करते हुए उक्त निलामी ईशितहार निरस्त किये जाने की सूचना को पर्यटन विभाग, जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. कोषाधिकारी, सिरोही।
12. तहसीलदार, आबूरोड।
13. सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-II, कलक्टर कार्यालय, सिरोही।
14. गार्ड फाईल।



Prullu
जिला कलक्टर, सिरोही